केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/136 दिनांक: 03.07.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00118
CICOM/R/2019/00286

अपीलकर्ता : श्री राम जतन हरिजन,
पुत्र - श्री राम लखन हरिजन,
ग्राम - लम्भुआ (गोसाई का पूरा),
पो0 - लम्भुआ, जिला - सुल्तानपुर,
उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 03.07.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	गैरदिनांकित
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.04.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. सीतारामा मूर्ति
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.06.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	191/27.06.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, शाखा लम्भुआ, सुल्तानपुर द्वारा आयोग के आदेश के अनुपालन से संबंधित सूचना मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन को श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ठीक से समझ नहीं पाए । अपीलकर्ता ने अपने आवेदन के साथ केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्राथी को 4 सप्ताह के अंदर उसके ऋण रद्द करने की जानकारी दी जानी थी जो कि नहीं दी गई है, जबकि संबंधित संचिका (आदेश सं. CIC/SBIND/A/2017/151856) की ई-बुक की जांच करने पर पाया गया कि प्रतिवादी (भारतीय स्टेट बैंक) द्वारा आयोग के आदेश के अनुपालन में दिनांक 12.11.2018 केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित पत्र में अपीलकर्ता के ऋण के रद्द होने के कारण की जानकारी दी गई है । तद्नुसार श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपीलकर्ता को आयोग के आदेश के अनुपालन से संबंधित पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 मे की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
03 JUL 2019
D. No........
Initials........

रा० के० सिं०
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

03/07/19
D.O. CC-SC 3/7/19
D/C